

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 94.06 लाख (चौरानवे लाख छः हजार रु०) मात्र की लागत व्यय पर राज्य योजनान्तर्गत मन मत्स्य का पालन योजना के तहत सृजित पदों का पद सहित योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-2063 दिनांक-18.06.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह योजना मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए एक चालू एवं महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को आगे भी चालू रखना नितान्त आवश्यक है। अतः राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 94.06 लाख (चौरानवे लाख छः हजार रु०) मात्र की लागत व्यय पर राज्य योजनान्तर्गत मन मत्स्य का पालन योजना के तहत सृजित पदों का पद सहित योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-1 संलग्न।

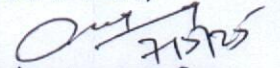
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मन बाहुल्य जिलों यथा पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिलों में मन विकास का कार्य कुशलतापूर्वक संपादित करना है। मन वृहत जलक्षेत्र हैं जो मत्स्य उत्पादन के बड़े श्रोत हैं। राज्य में मन के विकास से ही चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023-28) में निर्धारित मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव हो सकेगा।
3. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मन मत्स्य का पालन योजना के तहत सृजित पदों यथा- मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 01 पद, मत्स्य विकास पदाधिकारी के 08 पद, तथा जीप चालक के 03 अर्थात् कुल 12 सृजित पदों के विरुद्ध वर्तमान कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि का भुगतान इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जाएगा।
4. इस योजना अन्तर्गत मूल राज्यादेश संख्या-652 दिनांक-31.03.1992 एवं राज्यादेश संख्या-1881 दिनांक-20.12.1995 के द्वारा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 01 पद, मत्स्य विकास पदाधिकारी के 08 पद, तथा जीप चालक के 03 अर्थात् कुल 12 पद सृजित एवं स्वीकृत हैं, जिसका संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	सृजित/ स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
01.	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	01 (एक)
02.	मत्स्य विकास पदाधिकारी	08 (आठ)
03.	जीप चालक	03 (तीन)
योग :-		12 (बारह) पद

मत्स्य निदेशालय पत्रांक-1903 दिनांक-27.09.2022 के द्वारा मन बाहुल्य जिलों में स्वीकृत मत्स्य विकास पदाधिकारी के 8 (आठ) पदों पर पदस्थापन किया गया है। इस योजनान्तर्गत सृजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के एक पद पर कर्मी कार्यरत मत्स्य निदेशालय में है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत मन मत्स्य का विकास योजना की स्वीकृति के उपरांत तत्काल निदेशक मत्स्य आवश्यकतानुसार (मत्स्य निदेशालय सहित आर्द्रभूमि बाहुल्य जिलों में) चालकों का नियोजन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना के माध्यम से अधियाचित कर नियोजित करेंगे तथा इनके निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना द्वारा प्रेषित विपत्र के आधार पर अतिरिक्त बजट प्राप्त कर किया जायेगा।

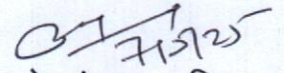
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-001 -निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0103 -मन मत्स्य का पालन, विपत्र कोड 02-2405000010103 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए समुचित बजट उपबंध उपलब्ध है।
- इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/ संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। निदेशक, मत्स्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।
- यह योजना चालू योजना है इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची "क" के उपनियम-4 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)19/2015 के पृष्ठ- 120/टि० एवं दिनांक-30.04.2025.
- राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)19/2015 के पृष्ठ-120/टि० तथा डायरी संख्या-154, दिनांक-11.04.2025.
- वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

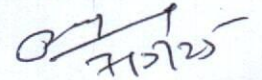
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक के प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

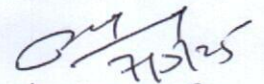
प्रतिलिपि :- अनुलग्नकों की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

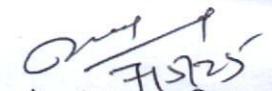
प्रतिलिपि :- अनुलग्नकों की प्रति के साथ निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार)/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

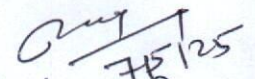
प्रतिलिपि :- अनुलग्नकों की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

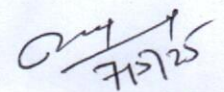
प्रतिलिपि :- अनुलग्नकों की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारियों/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2015- 2082 /पटना-15, दिनांक- 09/05/2025.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नकों की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव



अनुलग्नक-I

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष-001 -निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0103 -मन मत्स्य का पालन, विपत्र कोड 02-2405000010103 में स्थापना मूलक व्यय पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी:-

(राशि लाख में)

क्र०	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या		विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार का नाम
		स्वीकृत	कार्यरत				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(i) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी 9300-34800 / ग्रेड पे-4600 / (कर्मियों के पदस्थापन होने पर ही वेतन एवं भत्ते का भुगतान इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जाएगा)	1	1	0101.01.01-वेतन	51.99	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	संबंधित कोषागार बिहार
	(ii) मत्स्य विकास पदाधिकारी 9300-34800 / ग्रेड पे - 4200 /	8	8	0101.01.03-जीवन यापन भत्ता	32.23		
				0101.01.04-मकान किराया भत्ता	6.25		
				0101.01.05-परिवहन भत्ता	1.77		
				0101.01.06-चिकित्सा भत्ता	1.20		
				0101.11.01-यात्रा व्यय	0.60		
				0101.13.01-कार्यालय व्यय	0.01		
	(iii) जीप चालक 5200-20200 / ग्रेड पे-1900 / (चालकों का नियोजन वि०रा०पर्य वि०नि०लि० के माध्यम से किया जाएगा।)	3	0	0101.28.02-संविदा सेवायें	0.01		
कुल :-					94.06		

(कुल चौरानवे लाख छः हजार रु० मात्र)

2082
09/05/2025

सरकार के संयुक्त सचिव